...परीक्षण (पर्यावरण की दृष्टि से) का कार्य करना होगा।
रेनवाटर हार्वेस्टिंग नियमानुसार करनी होगी तथा विभाग का सूचित करना होगा।
समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों का पालन, अनापत्ति पत्रों के प्राविधानों के अनुसार करना होगा।
भूखण्डीय सम्बन्धि वाद विवाद की स्थिति में समस्त दायित्व आवेदक का होगा तथा तलपट मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
विद्युत सम्बन्धी कार्य यू0पी0पी0सी0एल0 के मानकों के अनुसार पूर्ण करके विद्युत विभाग को हस्तान्तरित करना होगा।
समस्त विकास कार्य नियमानुसार पूर्ण करने के उपरान्त नगर निगम को हस्तान्तरित करना होगा।
तलपट मानचित्र (उपविभाजन) में दर्शाये भूखण्डों पर भवन निर्माण करने से पूर्व उनके मानचित्र प्राविकरण से नियमानुसार स्वीकृत कराने होंगे।
योजना में कतिपय ट्रंक सेवाओं जैसे रोड कनेक्टीविटी, जल निकासी, जल आपूर्ति व सीवरेज आदि हेतु कनेक्टीविटी प्राप्त की जाती है तो उसके लिए विकासकर्त्ता द्वारा शासकीय अभिकरण को दिये जाने वाली धनराशि विकासकर्त्ता को वहन करनी होगी।
आन्तरिक विकास कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों के मानकों के अनुसार प्राविधान करना होगा।
शुल्क गणना के अतिरिक्त यदि शुल्कों की दरेखा भविष्य में निर्धारित की जाती है तो विकासकर्त्ता को अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।
1. समय-समय पर प्राप्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पालन पक्ष को विधिवत रूप से करना होगा।
2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विकास कार्यों में ऐसी कोई अनियमितता न होने पाये कि कालोनी के निवासी/जनता के जान-माल की हानि न हो। कालोनिवासियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाये।
3. ड्रेनेज की व्यवस्था टेल एण्ड तक नियमानुसार ढाल (स्लोप) देते हुए की जानी है, जिससे भविष्य में आवासीय कालोनी के अन्दर जल भराव न होने पाये। नियमानुसार डिजाईन कराते हुए ड्रेन के सेक्शन रखे जाने है तथा डिजाईन के अनुरूप क्रासिंग्स पर कलवर्ट (पुलियो) निर्मित करनी होगी।
4. आवासीय उपविभाजन तलपट मानचित्र के पीछे की तरफ मुख्य दीवार बनानी होगी तथा उक्त आवासीय कालोनी से पीछे की तरफ विद्यमान की तरफ 9.00 मीटर चौडी सडक) दूसरे की भूमि पर आवागमन (रास्ता) अनुमन्य नहीं होगा।
5. पक्ष द्वारा दिये गये स्वामित्व के अभिलेखों के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही की गयी है। किसी प्रकार का विवाद जाने पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. वाद विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, सहविभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

विद्युत नियमों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर
निर्माण कार्य किया जायेगा।

स्थल पर एक खोई पर स्वीकृत मानचित्र
की संख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होता है

शासनादेश अनुसार स्वच्छ पर.....
लगाये अनिवार्य है

कार्यालय पत्रांक ...172 दिनांक 15.6.2020
में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया
जाना अनिवार्य है।

प्राधिकरण कोष में दि० 26-6-20
को रु० 21987274/-
जमा हुई।
निर्गमन का दिनांक 15.06.2020

SITE PLAN

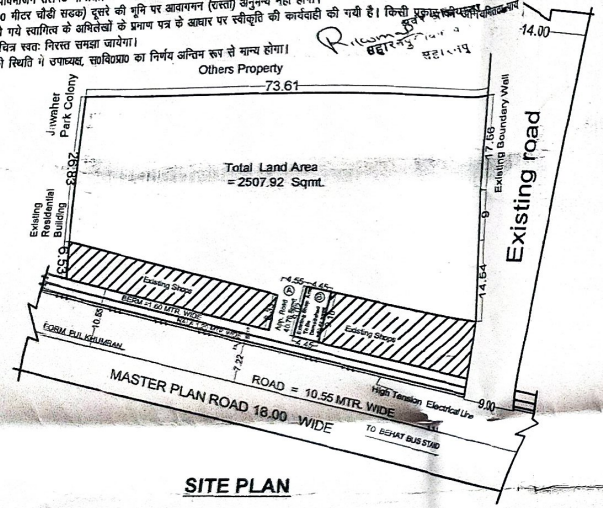

COLONY SERVICE PLAN

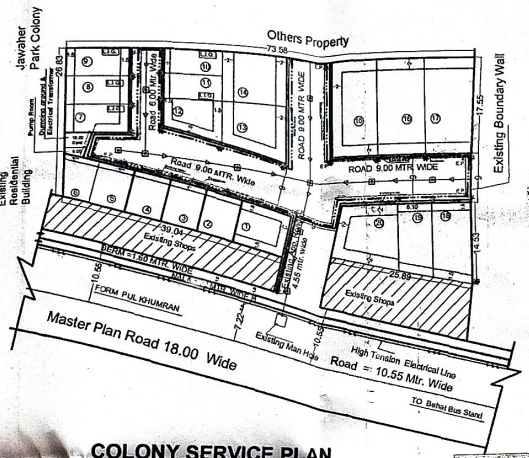

APPLICANT'S SITE LOCATION IN SAJRA PLAN

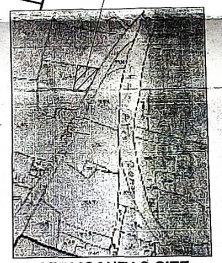

MSITE LOCATION IN MASTER PLAN

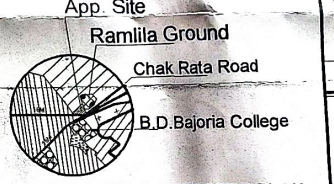

DENSITY CHARD
L.I.G. (UP TO 50.00 MTR) = 7NO 1UNIT X 5 = 35.PER
L.I.G. (UP TO 50 TO 150 MTR.)13 NO 2UNIT X 5 = 130 PER
TOTAL PER 165
DENSITY REQUIRED AS PER BYE LAWS
UP TO 50.00 sqmt. PLOT AREA = 1 UNIT
51 to 150 .00 sqmt. PLOT AREA = 2 UNIT

KEY PLAN

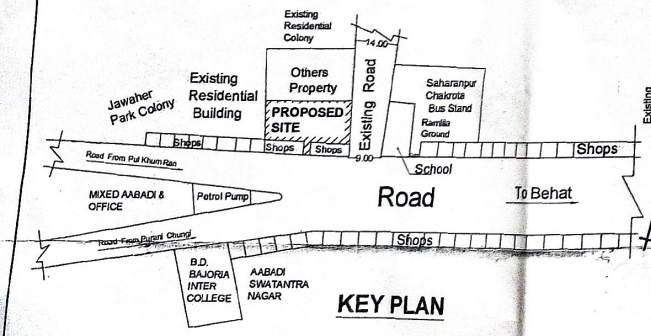

COLONY LAYOUT PLAN

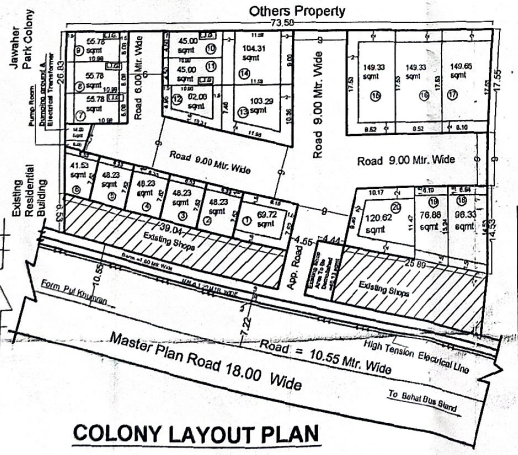

PLOT DETAILS FOR				SET BACK DETAILS			
PLOT NO	SIZE	AREA sqmt	No of Plot	AREA	FRONT	REAR	SIDE
1.	9.16X7.62	69.72 Sqmt.	1 NO	69.72	1.50	1.50	1.50
2 TO. 5	7.66X7.62	49.23 Sqmt	4 NO	192.92	1.00		
6.	6.33X7.62 avg	41.63 sqmt	1NO	41.63	1.00		
12.	4.86X10.56 avg.	62.00 Avg.	1NO	62.00	1.50	1.50	1.50
13.	11.05X10.03avg	103.29 Avg.	1NO	103.29	2.00	2.00	2.00
14.	9.00X11.69	104.31	1NO	104.31	2.00	2.00	
15.	8.52X17.53	149.33	1 NO	149.33	2.00	2.00	2.00
16.	8.52X17.53	149.33	1 NO	149.33	2.00	2.00	
17.	8.10X17.66	140.65	1NO	140.65	2.00	2.00	
18.	8.04X13.24	99.33	1NO	99.33	1.50	1.50	
29.	8.10X13.24	76.86	1NO	76.86	1.50	1.50	
20.	8.40X10.17 avg	120.62	1NO	120.62	2.00	2.00	2.00

Total Plot No = 16

PLOT DETAILS FOR L.I.G.				SET BACK DETAILS			
PLOT NO	SIZE	AREA sqmt	No of Plot	AREA	FRONT	REAR	SIDE
7 TO9	6.09X10.98	66.78	3 NO	197.34	1.50	1.50	
10 TO 11	4.50X10.00	45.00	2 NO	90.00	1.00		

TOTAL PLOT = 5

SPACE FOR OFFICE USE ONLY

वाद सं०- 344/2018-19

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

सचिव 11/6/2020
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

वित एवं लेखाधिकारी
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

अवर अभियन्ता
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

सहायक अभियन्ता
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर.

अधीक्षण अभियन्ता
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

PROPOSED SUBDIVISION PLAN FOR
"RADHA KRISHNA ENCLAVE"
(Residential Colony) BEARING
KHESRA NO $\frac{799}{2}$ & $\frac{799}{3}$ (IN PART)SITUATED AT
DARA MILKANA androon
NEAR BEHAT BUS STAND KHUM RAN ROAD
SAHARANPUR
Belonging to : Pradeep Kumar Bhargava (HUF)
Sign Authority :- Pardeep Kumar Bhargava
S/o Late Shri Baleshwar Nath Bhargava

Area Schedule In Sqmt

TOTAL AREA (As Per Khatoni)	= 9240.00 Sqmt	
SITE AREA CONSIDERED FOR (PROPOSED SITE)	= 2589.10 sqmt.	
AREA UNDER RESI. PLOT	= 1573.37 sqmt	60.77 %
AREA UNDER ROAD	= 989.73 sqmt.	38.23 %
AREA UNDER PUMP ROOM	= 8.00 sqmt	0.70
AREA UNDER DUMPING STATION & TRANSFORMER	= 18.00 sqmt	0.30

Water Drain
Sewer Line
Electrical Line
water supply line

All dimension are in mtr.

Proposed Land Use of Site Mixed Residential Area
According To Saharanpur Master Plan 2021
Building Bye Laws To Be Followed As Per Rules
2008 And Subsequent Amendments of 2011& 2016

LAYOUT SCALE :- 1 :100

SIGN. APP

SIGN. ENGINEER /ARCH

Sign Authority :-
Pardeep Kumar Bhargava

Amarnath Vats
Old Sanis Tax Office
Harikot Nagar, Sah
Lic No.-5/15, S.D.
Tel.: 9412233263, 941